न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 36/2017 नामान्तरकरण अपील

1. गंगासहाय
2. कल्लूराम

} पि0 गैन्दीलाल जाति मीना निवासी ग्राम सिसोदिया तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा

अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगढ पचवारा जिला दौसा

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण दिनांक 08.06.2005 नामान्तरकरण संख्या 205 वाकै ग्राम सिसोदिया हाल तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा

उपस्थिति :– 1. श्री पंकज कुमार शर्मा अधिवक्ता अपीलान्ट्स उपस्थित।
2. राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

–:निर्णय:– दिनांकः 01.05.2018

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खसरा नं. 59 रकबा 7 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नं. 68 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नं. 99 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नं. 108 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नं. 113 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नं. 314 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा व खसरा नं. 311 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नं. 101 रकबा 2 बिस्वा कृषि भूमि वाकै ग्राम सिसोदिया पटवार हल्का सोनड तहसील रामगढ पचवारा में स्थित है। जिसमे अपीलान्ट जमाबन्दी में दर्ज हिस्से का रिकार्डेड काबिज काश्तकार है, परन्तु अपीलान्ट के पिता गैन्दीलाल उर्फ गैन्दा की मृत्यु के पश्चात तत्कालीन हल्का पटवारी सिन्दौली के द्वारा दिनांक 30.05.2005 को मुताबिक सजरा ग्राम पंचायत व मृत्यु प्रमाण पत्र के विरासत का नामान्तरकरण भरकर पेश किया। दिनांक 08.06.2005 को तुलना की गई। इसी दिनांक 08.06.2005 को तत्कालीन तहसीलदार लालसोट द्वारा नामान्तरकरण संख्या 205 स्वीकृत फरमाया गया, लेकिन अपीलान्ट के वास्तविक रिकार्डेड दस्तावेजात में अंकन नाम गंगासहाय पुत्र गैन्दीलाल के स्थान पर गुल्या पुत्र गैन्दा तथा कल्लूराम पुत्र गैन्दीलाल के स्थान पर कालूराम पुत्र गैन्दा भरकर नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील अपीलान्ट पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गयी। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड तलब किया गया एवं अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अति0 जिला कलक्टर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा बहस के दौरान अपील के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया गया की अपीलान्ट का वास्तविक नाम गंगासहाय एवं कल्लूराम पि0 गैन्दीलाल है। जिनके सरकारी दस्तावेजात आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र आदि में अपीलान्ट का वास्तविक नाम अंकित है। किन्तु जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 205 दिनांक 08.03.2005 में अपीलान्ट्स के वास्तविक नाम के स्थान पर गुल्या पुत्र गैन्दा एवं कालूराम पुत्र गैन्दा बिना जांच पडताल के इन्द्राज कर दिया है। उक्त नामान्तरकण को तस्दीक फरमाने से पूर्व हल्का पटवारी व तहसीलदार लालसोट द्वारा अपीलान्ट्स को सुनवाई का अवसर नही दिया गया। अपीलान्ट्स को दिनांक 06.08.2017 को जमाबन्दी की नकल केसीसी हेतु पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर जानकारी हुई तो रेस्पोडेन्ट ने स्पष्ट रूप से इन्कार करते हुए कहा की कोर्ट से आदेश लाने पर ही राजस्व रिकार्ड में नाम को दुरस्त किया जा सकता है। राजस्व रिकार्ड में अपीलान्ट्स का नाम गलत अंकित होने की वजह से उन्हे केसीसी, लोन व अन्य सरकारी योजनाओ के लाभ से वंचित होना पड रहा है। अतः नामान्तरकरण संख्या 205 दिनांक 08.06.2005 ग्राम सिसोदिया को निरस्त फरमाया जाकर मृतक गैन्दा उर्फ गैन्दीलाल के वारिसान के वास्तविक नामो की सही जांच कर पुनः नामान्तरकरण खोलने हेतु रेस्पोडेन्ट को आदेशित फरमावे।

जवाब बहस मे राजकीय अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया की प्रश्नगत नामान्तरकण 205 दिनांक 08.06.2005 को तस्दीक किया गया है जबकी अपीलान्ट्स द्वारा अपील दिनांक 21.11.2017 को पेश की गई है। इतनी लम्बी अवधि के पश्वात अपील पेश करने का कोई उचित कारण अंकित नही किया गया है।

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल अभिलेख का अवलोकन किया। पत्रावली में अंकित तथ्यो को मध्य नजर रखते हुए प्रकरण तहसीलदार रामगढ पचवारा को रिमाण्ड किया जाना हम उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 205 दिनांक 08.06.2005 ग्राम सिसोदिया हाल तहसील रामगढ पचवारा को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार रामगढ पचवारा को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रकरण में मृतक खातेदार के विधिक वारिसान के सम्बन्ध में नियमानुसार अपेक्षित जांच कर अपीलान्ट्स को सुनवाई का अवसर देते हुए विधिक प्रक्रिया का पालन कर विधि सम्मत निर्णय पारित कर कार्यवाही सुनिश्चित करे। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापिस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 01.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official